1185
15-5-17

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।
संकल्प

राज्य के शिक्षित युवकों/युवतियों को कुशल तकनिशियन एवं कामगार तैयार करने के उद्देश्य से श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के नियंत्रणाधीन राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (SCVT) को अवक्रमित कर सोसायटी के MOA का अनुमोदन करते हुए Bihar State Council For Vocational Training को सोसाईटी के रूप में गठित किया जाता है।

2–श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के नियंत्रणाधीन राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद~ (SCVT) का पुनर्गठन विभागीय संकल्प संख्या–4127 दिनांक–30–11–2010 के द्वारा किया गया है , जिसमें SCVT के कार्यो का निर्धारण किया गया है।

- महानिदेशालय प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के ट्रेनिंग मैनुअल में निहित प्रावधानों के तहत SCVT को अवक्रमित करते हुए Bihar State Council For Vocational Training को सोसाईटी के रूप में गठित किया जाता है ।
- Bihar State Council For Vocational Training के Memorandum of Association (MOA) में सोसाईटी के कार्यो का निर्धारण किया गया है (प्रति संलग्न)।
- सोसाईटी के गैर सरकारी सदस्यों का नियमित यात्रा भत्ता, व्यय शीर्ष 2052 सचिवालय सामान्य सेवाएँ, से विकलनीय होगा।

Bihar State Council For Vocational Training का मुख्य कार्य आधुनिक तकनीकी युग के अनुसार नये नये व्यवसायों को, जो भारत सरकार/ बिहार सरकार के द्वारा संचालित हैं, कार्यान्वित कराने के अतिरिक्त रोजगारपरक व्यवसायों का सृजन करना एवं NCVT / SCVT प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित National Council for Vocational Training (NCVT) की नीति को कार्यान्वित करना इत्यादि।

उक्त के आलोक में राज्य के अधिक से अधिक युवकों/युवतियों को ससमय गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुशल श्रमिक बनाने के लिए Bihar State Council For Vocational Training को सोसाईटी के रूप में गठन करने का निर्णय लिया गया है । सोसाईटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन महानिदेशालय प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार के ट्रेनिंग मैनुअल में निहित प्रावधानों के तहत किया गया है, जो निम्नवत है–

क्र0	पदनाम	विभाग का नाम एवं पता	सोसाईटी में प्रस्तावित पद का नाम
1	2	3	4
1	सचिव / प्रधान सचिव	श्रम संसाधन विभाग, (नियोजन भवन) बिहार, पटना	अध्यक्ष
2	निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना	निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन भवन) पटना	उपाध्यक्ष
3	संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/वरीयतम उप निदेशक, प्रशिक्षण (संयुक्त निदेशक का पद खाली रहने की स्थिति में)	निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)	सदस्य सचिव
4	पावर ग्रीड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि	अलंकार पैलेस, बोरिंग,रोड पटना	सदस्य
5	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि	सरदार पटेल मार्ग, पटना	सदस्य
6	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कं0लि0 के प्रतिनिधि	विद्युत भवन, बिहार, पटना	सदस्य
7	निदेशक क्षेत्रीय निदेशालय शिशिक्षु प्रशिक्षण, आर0डी0ए0टी0 कोलकत्ता	सेक्टर–5 , सॉल्ट लेक, कोलकाता	सदस्य
8	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट पटना	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट पटना–800011	सदस्य
9	प्राचार्य, अलसाहवा प्राईवेट आई0 टी0 आई0 फारबिसगंज	अलसाहवा प्राईवेट आई0 टी0 आई0 फारबिसगंज	सदस्य

10	राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के प्रतिनिधि	बिहार, रोड नं0–3, राजीव नगर, पटना	सदस्य
11	हिन्द मजदूर सभा (एच0एम0एस0) के प्रतिनिधि	कैम्प कार्यालय, ग्रा0+पो0–सकरी, मधुवनी	सदस्य
12	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य

3– उक्त के आलोक में **Bihar State Council For Vocational Training** को सोसायटी के रूप में गठित किया जाता है।

4–उपर्युक्त सोसाईटी के गठन के प्रस्ताव में योजना प्राधिकृत समिति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है ।

5– प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में हो और इसकी प्रति सभी सदस्यों को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(ह0) 11/5/17
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या–टी2/नामां0 –20/2001– 1185 पटना, दिनांक– 15-5-2017

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग पटना को प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक मे शीध्र किया जाय और इसकी 200 प्रतियाँ निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) को भी उपलब्ध करायी जाय।

(ह0) 11/5/17
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–टी2/नामां0 –20/2001– 1185 पटना, दिनांक– 15-5-2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(ह0) 11/5/17
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक–टी2/नामां0 –20/2001– 1185 पटना, दिनांक– 15-5-2017

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(ह0) 11/5/17
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक–टी2/नामां0 –20/2001– 1185 पटना, दिनांक– 15-5-2017

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग /प्रधान सचिव योजना विभाग / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग / माननीय लोकायुक्त बिहार, पटना के आप्त सचिव /प्रधान सचिव निगरानी विभाग/ प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ श्रम संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारी/ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/ सभी उप निदेशक प्रशिक्षण / सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण / सभी प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ निदेशालय प्रशिक्षण के सभी पदाधिकारी/ पॉच प्रति राजपत्रित स्थापना प्रशाखा(सरकार पक्ष) एवं आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(ह0) 11/5/17
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार,पटना।